सात दिवसीय जीएसटी कार्यशाला का प्रतिवेदन

कार्यशाला में विद्यार्थियों को जीएसटी के सम्बन्ध में दी जाने वाली

प्रस्तावित जानकारी निम्न है

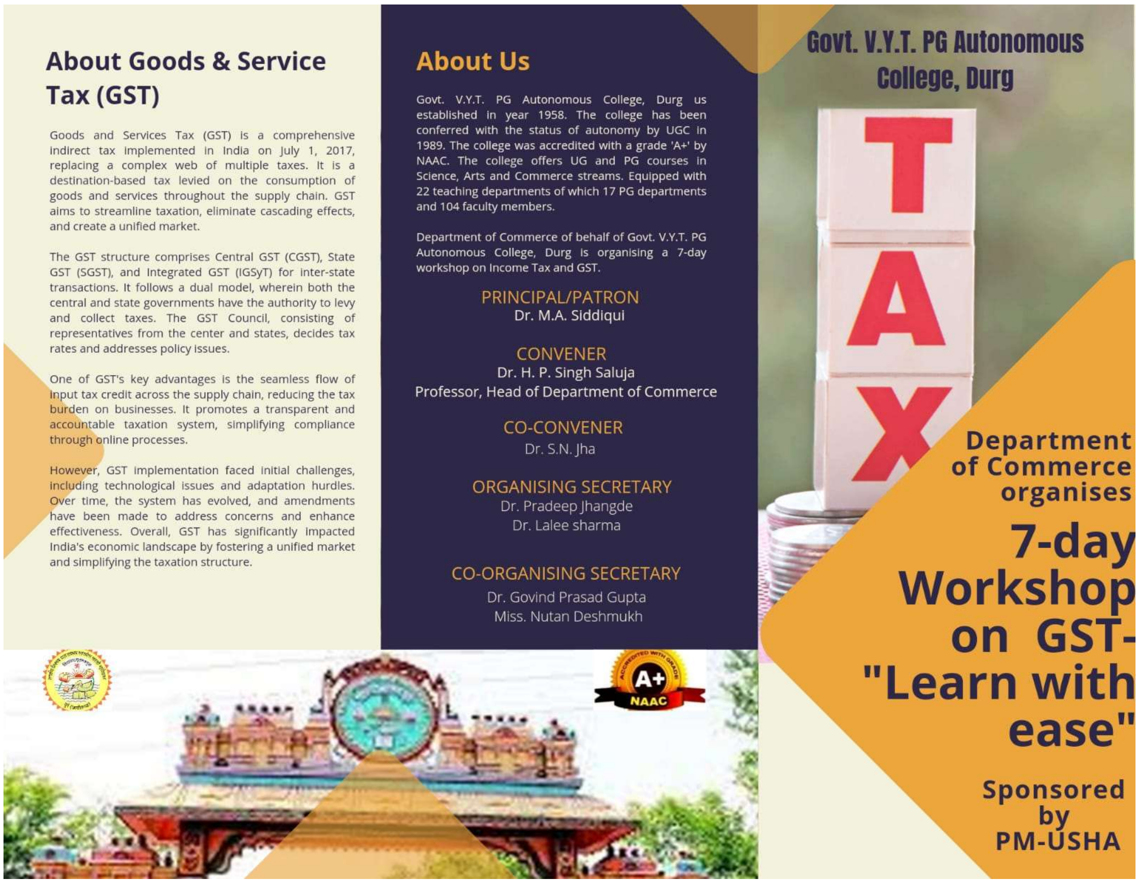

कार्यशाला की विवरणिका

कार्यशाला की विषय सामग्री

पहला दिन

सत्र 1: जीएसटी कानून का अवलोकन

✓संवैधानिक प्रावधान, प्री-जीएसटी रेजीम, जीएसटी परिषद, सीबीआईसी, जीएसटी पोर्टल।

सत्र 2: सामग्री की आपूर्ति का विस्तार

✓राज्यों के अंतर्गत और अंतर-राज्य आपूर्ति

✓एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी पर संक्षेपित चर्चा

✓मुक्त और शून्य दर्जे की आपूर्ति

✓मिश्रित और संयुक्त आपूर्ति

*दूसरा दिन *

सत्र 3: संयोजन योजना

✓जीएसटी में संयोजन लेवी योजना - विशेषताएँ, लाभ और दोष

✓जोखिम और दोष

सत्र 4: जीएसटी पंजीकरण और संशोधन प्रक्रिया

✓जीएसटी पंजीकरण के लिए लागू कानूनी प्रावधान

✓नया पंजीकरण प्रक्रिया और दस्तावेज़ आवश्यकताए✓जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

✓मौजूदा जीएसटी पंजीकरण के लिए मूल और गैर-मूल क्षेत्रों की संशोधन प्रक्रिया

✓जीएसटी पंजीकरण की रद्दी, अर्पण और पुनर्प्राप्ति

तीसरा दिन

सत्र 5: आपूर्ति अवधारणाएँ - एक विस्तृत विश्लेषण

✓सामान और सेवाओं की आपूर्ति की स्थान, समय और मूल्य

✓कर दरें लागू होती हैं और सामग्री और सेवाओं के लिए लागू करों को खोजने के स्रोत

चौथा दिन

सत्र 6: इनपुट कर श्रेय (आईटीसी) और इसका उपयोग

✓गीएसटी में इनपुट कर श्रेय मेकेनिज़्म - व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाया गया

✓गैर-प्रयोग में इनपुट कर

✓उल्टी चार्ज मेकेनिज़्म (आरसीएम) अधीन में गीएसटी

पाचवा दिन

सत्र 7: जीएसटी के तहत कर चालान / आपूर्ति की चालान

✓कर चालान, आपूर्ति की चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के नियम, प्रारूप और सामग्री पर मार्गदर्शन

✓जीएसटी चालान की तैयारी (नियमित कर भरने वालों के लिए)

✓संयोजन कर भरने की तैयारी (संयोजन कर करने वालों के लिए)

***छटवा दिन ***

सत्र 8: जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग

✓विभिन्न जीएसटी रिटर्न के प्रकार और उनका प्रारूप

✓जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया

✓जीएसटी का भुगतान (टैक्स दायित्व के भुगतान के तरीके जीएसटी चालान के माध्यम से)

***सातवा दिन ***

सत्र 9: जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा

✓ई-कॉमर्स ऑपरेटर और जॉब वर्क

✓इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी)

✓ई-वे बिल और उसकी प्रक्रिया की चालान का लेखांकन

✓हिसाबों की बुक में जीएसटी का लेखांकन

✓मूल्यांकन और मनोविश्लेषण रिफंड - एक अवलोकन

उदघाटन सत्र

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग द्वारा पीएम उषा मद से प्रायोजित 7 दिवसीय “GST WORKSHOP “ learn with ease का आयोजन दिनाक 23/02/2023 से 29/02/2023 तक किया गया ।

कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर उदघाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त श्रीमती सोनल के मिश्रा ,मुख्य वक्ता के रूप में प्राचार्य डॉ एम.ए. सिद्दकी, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एच.पी सलूजा, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एस.एन झा, डॉ. प्रदीप जांगड़े एवं डॉ. लाली शर्मा उपास्थित रहे ।

आयुक्त श्रीमती सोनल के मिश्रा द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन

आयुक्त श्रीमती सोनल के मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया । इस कार्यशाला मे आयुक्त श्रीमती सोनल के मिश्रा ने विद्यार्थियों को वस्तु एवं सेवा कर की वर्तमान समय में उपयोगिता से अवगत करवाया , तथा उन्होंने IGST, CGST, SGST की जानकारी प्रदान की, वस्तु एवं सेवा कर के सैद्धान्तिक जानकारी देते हुए उसके व्यवहारिक महत्व को भी बताया।

आयुक्त श्रीमती सोनल के मिश्रा जी एस टी की आधारभूत जानकारी देते हुए

सी ए अभिषेक अग्रवाल जी एस टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए

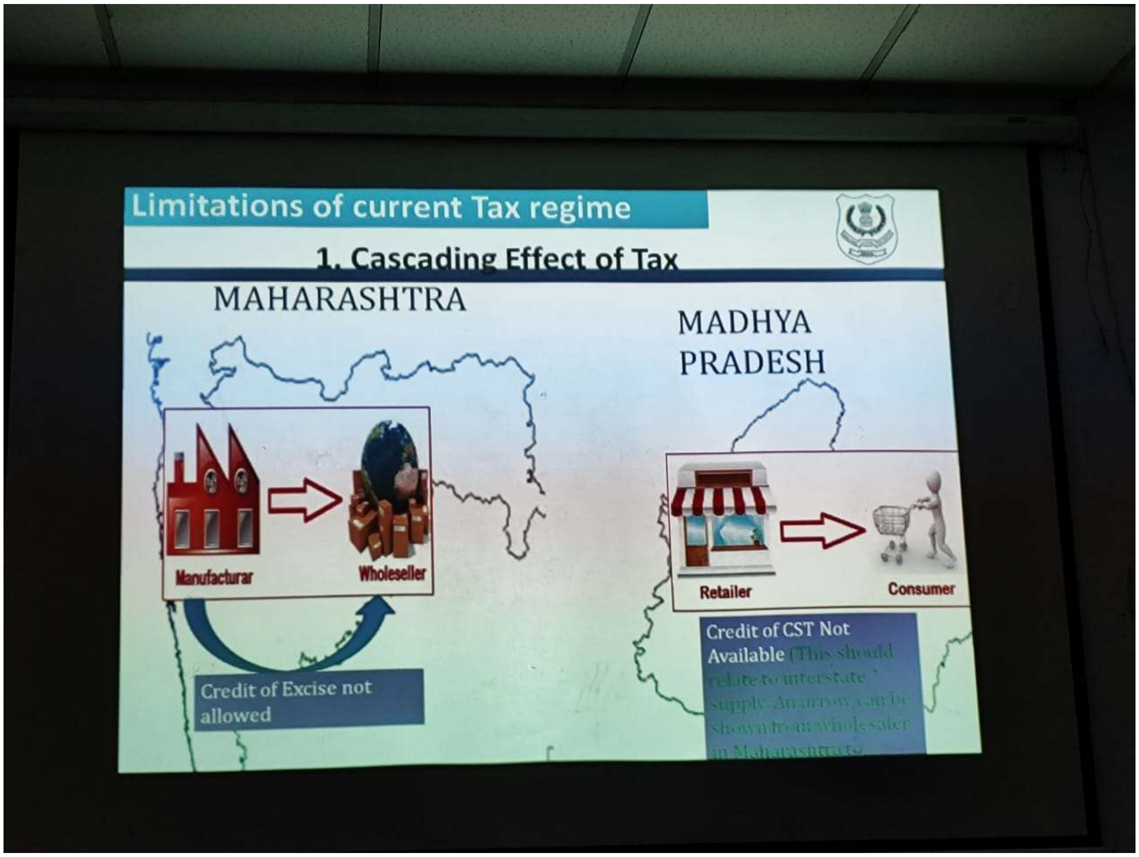

Limitations of current Tax regime
1. Cascading Effect of Tax
MAHARASHTRA
MADHYA PRADESH
Manufacturar
Wholeseller
Retailer
Consumer
Credit of Excise not allowed
Credit of CST Not Available

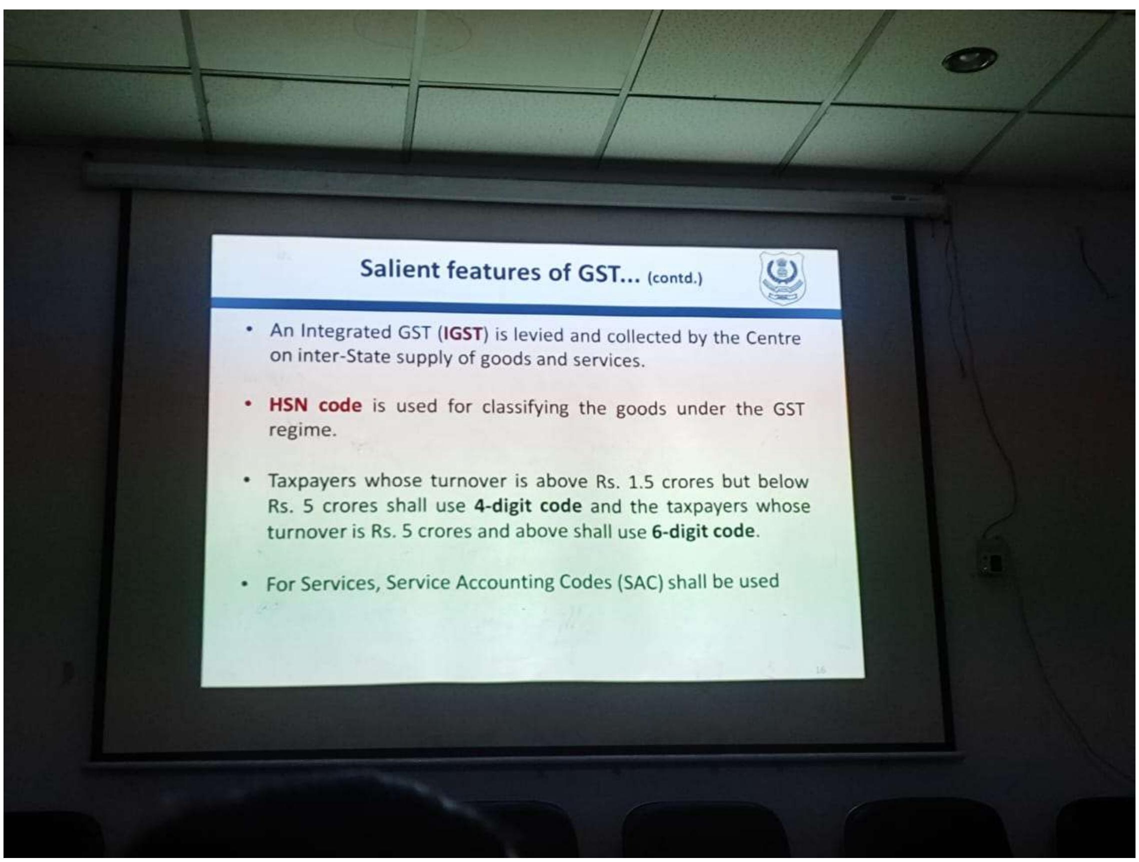

Salient features of GST... (contd.)
• An Integrated GST (IGST) is levied and collected by the Centre on inter-State supply of goods and services.
• HSN code is used for classifying the goods under the GST regime.
• Taxpayers whose turnover is above Rs. 1.5 crores but below Rs. 5 crores shall use 4-digit code and the taxpayers whose turnover is Rs. 5 crores and above shall use 6-digit code.
• For Services, Service Accounting Codes (SAC) shall be used

सी ए अभिषेक अग्रवाल द्वारा विद्यार्थियों के साथ प्रशानोतर सत्र

कार्यशाला के द्वितीय दिवस पर सी.ए. रूचिका मखीजा ने व्यापार और उधोग के क्षेत्र में जीएसटी के महत्वपूर्ण पहलूओं पर विचार दिया । इस दिन का विषय "कॉम्पोजिशन स्कीम" और "जीएसटी पंजीकरण और संशोधन प्रक्रिया" रही। कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो छोटे व्यापारियों को अपनी सालाना राजस्व बचाने का एक सुझाव देता है। इस स्कीम के विशेष विशेषताएं, लाभ और दोषों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही, किसी व्यक्ति को कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के तहत पंजीकृत करने के योग्यता तथा निबंधन प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की गई। इस सत्र में जीएसटी पंजीकरण के लिए नियमित विधियों की चर्चा की गई। नए पंजीकरण प्रक्रिया और दस्तावेज़ आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। इसके साथ ही, जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआईएन), जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, मौजूदा जीएसटी पंजीकरण के लिए मुख्य और गैर-मुख्य क्षेत्रों का संशोधन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जीएसटी पंजीकरण के रद् , समर्पण और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई।

कार्यशाला के 3 तीसरा दिवस- जीएसटी वर्कशॉप के तीसरे दिन का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति अवधारणाओं को समझना था। सी ए. रुचिका मखिजा ने आपूर्ति अवधारणाओं के विषय में एक गहरा विश्लेषण

प्रस्तुत किया। उन्होंने वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, समय, और मूल्य के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी । उनकी विशेषज्ञता और व्यावसायिक ज्ञान छात्रों को आपूर्ति अवधारणाओं को समझने में सहायक रही । कर सलाहकार हर्षा अय्यर ने जीएसटी कर दरों के लागू होने और उनके संसाधनों के बारे में चर्चा की। उन्होंने सेवाओं के लिए लागू होने वाली कर दरों को खोजने के संसाधनों के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में जीएसटी की आपूर्ति की अवधारण बताई गई जीएसटी में, आपूर्ति की अवधारणाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यशाला में यह बताया गया की किस प्रकार की वस्तु और सेवाएं किस स्थान पर, किस समय पर और किस मूल्य पर आपूर्ति की जा सकती है। तथा जीएसटी में, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न कर दरें लागू होती हैं। कार्यशाला में बताया गया कि कौन-कौन सी वस्तुएं और सेवाएं किस कर दर पर आती हैं और कैसे कार्यशाला में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति किस स्थान पर की जा सकती है और इसके लिए कौन-कौन से नियम और शर्तें होती हैं।

हर्षा अय्यर द्वारा जीएसटी कर दरों के लागू होने और उनके संसाधनों के बारे में चर्चा की गई

कार्यशाला के चोथे दिवस पर जीएसटी के तहत कर चालान/बिल और रिटर्न्स की भर्ती पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला के पाचवे दिवस पर सी ए अभिषेक अग्रवाल ने छात्रों को जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ और उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की, छात्रों को जीएसटी में पूँजी वस्तुओं पर इनपुट क्रेडिट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। छात्रों को जीएसटी में ब्लॉक क्रेडिट के मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जहां आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता। वर्कशॉप के दौरान छात्रों को व्यावसायिक जगहों पर अपने करियर के विकल्पों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। उन्हें जीएसटी के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी समझ मिली, जो उनके व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में कर चालान बिल ऑफ़ सप्लाई के नियम, प्रारूप और सामग्री से संबंधित जानकारी प्रदान की गई की कर चालान/बिल ऑफ सप्लाई क्या है , जीएसटी बिल ऑफ सप्लाई की तैयारी कैसे की जाती है कंपोजिशन टैक्स भरने वालों के लिए बिल ऑफ सप्लाई की तैयारी कैसे की जाती है और इसके लिए कौन-कौन से नियम होते हैं। चालान/बिल ऑफ सप्लाई की तैयारी के नियमो की जानकारी प्रदान की गई ।

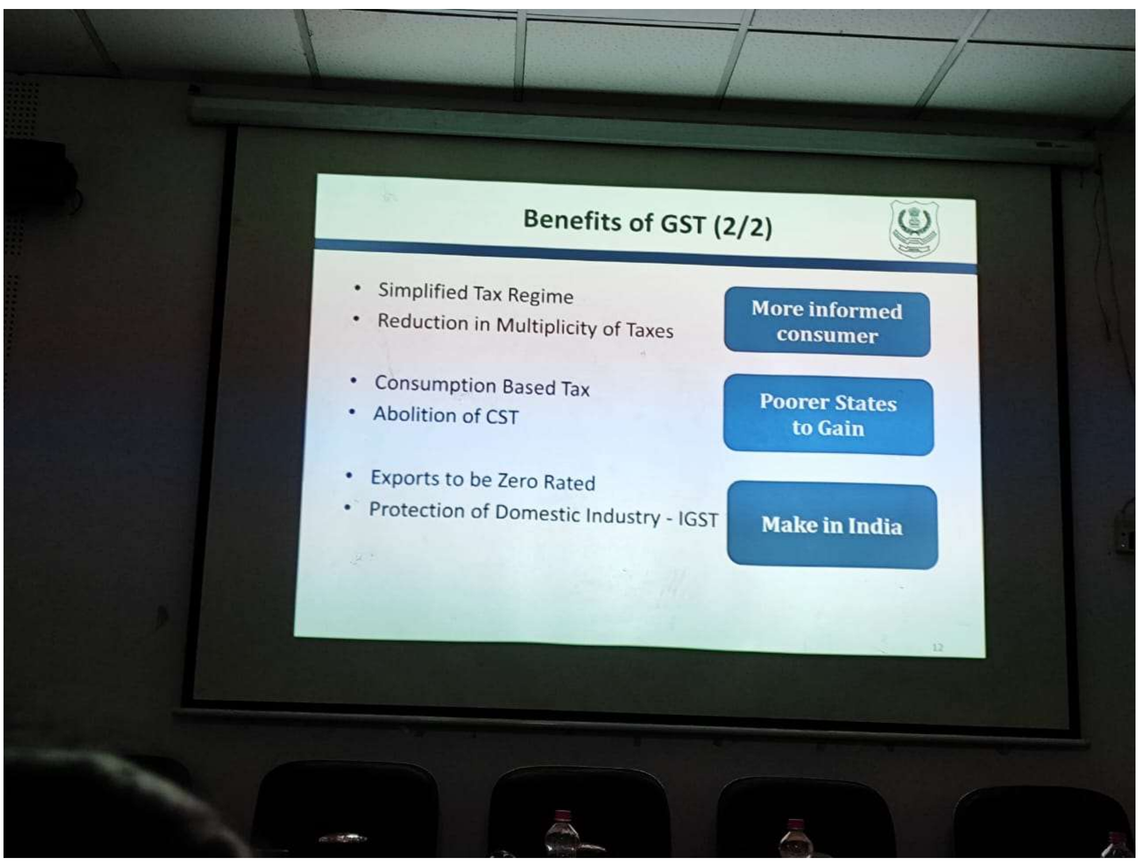

जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) एक महत्वपूर्ण कर व्यवस्था है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने और समायोजित करने के लिए लागू की गई है। इस कार्यशाला में, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मेकेनिज़म को समझाया गया, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है तथा इसे व्यावहारिक उदाहरणों के साथ भी समझाया गया । कार्यशाला के इस चरण में जीएसटी के तहत पूंजीगत सामग्री पर इनपुट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ब्लॉकेड क्रेडिट के मामले, तथा जहां आईटीसी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और उलटी चार्ज मेकेनिज़म के संबंधित जीएसटी में आईटीसी का उपयोग करने के नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा आईटीसी क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है एक व्यक्ति या व्यवसाय किसी वस्तु या सेवा पर चुकाए गए कर को अपनी अंतिम उत्पाद या सेवा के कर के रूप में कैसे प्राप्त कर सकता है इसका समाधान किए जाने वाले व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाया गया ।

जीएसटी के अंतर्गत पूंजीगत सामग्री पर आईटीसी कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

कार्यशाला में आईटीसी का उपयोग और इसे उदारहण सहित बताया गया कैसे आईटीसी का उपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार से व्यावसायिक कार्यों में इसका लाभ उठाया जा सकता है।

कार्यशाला में सम्लित विद्याथी गण

कार्यशाला के 6 छठवे दिवस पर हर्षा अय्यर ने विद्यार्थियों को GSTR-1, GSTR-2, और GSTR-3 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई ।उन्होंने बताया की GSTR-1 बिक्री के आवंटन के लिए है, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों की विवरण शामिल होता है। यह विवरण अपने ग्राहकों की बिक्री को सूचित करने में मदद करता है GSTR-2 आयात के आवंटन के लिए होता है, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों के आयात की विवरण शामिल होती है। GSTR-3 विविध आवंटन और समायोजन के लिए होता है और यह विभिन्न आवंटन और समायोजनों के बारे में समर्थन प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनके विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए संबंधित आवंटन और समायोजन प्रदान करने में मदद करता है। इस कार्यशाला के माध्यम से, छात्रों को जीएसटी रिटर्न की महत्वपूर्णता और उसके प्रमुख पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग क्या है और इसे कैसे भरा जाता है इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई तथा ई-कॉमर्स ऑपरेटर और जॉब वर्क किस प्रकार जीएसटी के तहत रिटर्न की फाइलिंग करते हैं और उनकी विशेष दिशानिर्देश क्या होती है बताया गया आईएसडी क्या हैं और उनका जीएसटी रिटर्न में क्या योगदान होता है की जानकारी प्रदान की गई मूल्यांकन और ऑडिट रिफंड इस कार्यशाला में मूल्यांकन और ऑडिट रिफंड के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई, जिसमें जीएसटी के तहत व्यवसायियों को कैसे रिफंड दिया जाता है।

हर्षा अय्यर द्वारा विद्यार्थियों के साथ प्रशानोतर सत्र

दिनांक 29/02/2024 को कार्यशाला का अंतिम और समापन सत्र रहा जिसमें विशिष्ट आतिथि के तौर पर राज्य कर अधिकारी सीमा अग्रवाल सम्मिलित रही । अधिकारी सीमा अग्रवाल के द्वारा अपील एवं अपील की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान की गई । उन्होंने जीसटी अपीलों से संबंधित विभिन्न धाराओ के संबंध में जानकारी दी और यह बताया कि किस प्रकार से जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद होने पर उसका निराकरण कैसे किया जाता है। समापन सत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एम.ए. सिद्दकी ने वाणिज्य विभाग द्वारा कराया जा रहे जीएसटी कार्यशाला की वर्तमान उपयोगिता से छात्रों को अवगत कराया। उन्होंने कहा यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एम.ए. सिद्दकी विद्याथियों को संबोधित करते हुए

यह कार्यशाला समाज में जीएसटी के लाभों और महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयास हैं। कार्यशाला में विभाग के आतिथि प्राध्यापक डॉ. गोविद प्रसाद गुप्ता,श्री निशित साहू, श्री सोमनाथ डनसेना , कु. प्रिया अग्रवाल, कु. नूतन देशमुख , कु. रानू देश्लेहरे शामिल रहे तथा एम कॉम 72 एव बीकॉम के 112 छात्र - छात्राए उपस्थित रहे , जिन्हें महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया

सी ए अभिषेक अग्रवाल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए

सी ए सुधीर कुमार द्विवेदी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए